•रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 550] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 1996/आश्विन 8, 1918
No. 550] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 1996/ASVINA 8, 1918

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY INDIA

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1996

का. आ. 671 (अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर तमिलनाडु राज्य के लिए पारिस्थितिकी-क्षति (निवारण और प्रतिकर का संदाय) प्राधिकरण गठित करती है ; अर्थात् :—

(1) .....
(उच्च न्यायालय का एक सेवा निवृत न्यायाधीश जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा) —अध्यक्ष

(2) सचिव, पर्यावरण विभाग तमिलनाडु सरकार, चेन्नई —सदस्य

(3) सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली —सदस्य

(4) .....
(सदस्य सचिव, कोई व्यक्ति जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा) —सदस्य

2. प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा , अर्थात् :—

(i) उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करना और उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) और (xii) में निर्दिष्ट मामलों की बाबत अध्युपाय करने के लिए निदेश जारी करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करना ;

(ii) प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी और पर्यावरण को हुई क्षति का निर्धारण करना और ऐसे व्यष्टिकों और कुटुम्बों की, जो प्रदूषण के कारण ग्रस्त हुए हैं, पहचान करना तथा उक्त व्यष्टिकों और कुटुम्बों को संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर का निर्धारण करना ;

(iii) प्रदूषण कर्ताओं से पर्यावरण को हुई हानि की बहाली की लागत के रूप में वसूल किए जाने वाले प्रतिकर का अवधारण करना ,

(iv) ऊपर (i) से (iv) तक के अधीन की जाने वाली कार्रवाई के लिए प्रक्रिया अधिकथित करना ;

(v) उपरोक्त दो शीर्षों के अधीन अर्थात् पारिस्थितिकी की बहाली और व्यष्टिकों को किए जाने वाले प्रतिकर के संदाय की संगणना करना ;

(vi) प्रदूषणकर्ता के विरुद्ध अधिनिर्णीत प्रतिकर का संदाय करने से बचने या इंकार करने की दशा में प्रदूषणकर्ता के स्वामित्वाधीन या प्रबंधाधीन किसी उद्योग या उद्योगों के किसी वर्ग को बंद करने का निदेश देना । यह प्रदूषणकर्ता से भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाने वाली वसूली के अतिरिक्त होगा ।

(vii) तमिलनाडु राज्य में प्रदूषण द्वारा पारिस्थितिकी और पर्यावरण को हुए नुकसान की बहाली के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि जैसे विशेषज्ञ निकायों के परामर्श से स्कीम या स्कीमें बनाना । ये स्कीमें केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण के अधीन राज्य सरकार द्वारा निष्पादित की जाएंगी । इस पर होने वाला व्यय "पर्यावरण संरक्षण निधि" और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध अन्य स्रोतों से पूरा किया जाएगा ।

(viii) ऐसे सभी उद्योगों से संबंधित मामलों का पुनरीक्षण करना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में पहले से प्रचालित है और ऐसे उद्योगों में से किसी को पुनः अवस्थित करने का निदेश देना ।

(ix) ऐसे चर्मोद्योगों को स्थायी रूप से बंद करना या उनके पुनः अवस्थान का निदेश देना जिन्होंने पर्याप्त उपचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई है तथा जिनको तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विधिमान्य प्रमाणपत्र नहीं है ।

(x) मद्रास उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का अनुपालन करना ।

(xi) तमिलनाडु राज्य से संबंधित अन्य सुसंगत पर्यावरण मुद्दों की बाबत जिनमें केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए मुद्दे भी हैं, कार्रवाई करना ।

3. ऊपर पैरा 2 में यथापरिभाषित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण एक विवरण तैयार करेगा जिसमें प्रदूषणकर्ताओं से वसूल की गई कुछ रकम दर्शित करते हुए, उन प्रदूषणकर्ताओं के नामों का उल्लेख होगा जिनसे रकम वसूल की जानी है, प्रत्येक प्रदूषणकर्ता वसूल की जाने वाली रकम, उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें प्रतिकर का संदाय किया जाना है तथा प्रत्येक को संदेय रकम का उल्लेख होगा । यह विवरण सम्बद्ध क्षेत्र के कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट को अग्रेषित किया जाएगा । यह विवरण सम्बद्ध क्षेत्र के कलक्टर /जिला मजिस्ट्रेटों को अग्रेषित किया जाएगा जो प्रदूषणकर्ताओं से, यदि आवश्यक हो, उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करेगा और वे प्राधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर को प्रभावित व्यक्तियों/कुटुम्बों में वितरित करेगा ।

4. प्राधिकरण अपने क्रियाकलापों के बारे में कम से कम दो मास में एक बार प्रगति रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा ।

5. प्राधिकरण का अपना मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में होगा ।

6. अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएं ।

[फा. सं. क्यू. 17012/63/91-सी. पी. डब्ल्यू.]

विश्वनाथ आनंद, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 1996

S.O. 671(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) hereinafter referred to as the said Act, the Central Government hereby constitutes the Loss of Ecology (Prevention and Payments of Compensation) Authority for the State of Tamil Nadu consisting of the following members for a period of two years on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

(1) ———————— —Chairperson
(A retired Judge of the High Court to be appointed by the Central Government).

(2) The Secretary, Government of Tamil Nadu Department of Environment, Chinnai —Member

(3) The Member Secretary, Central Pollution Control Board Delhi. —Member

(4) ———————— —Member-Secretary
(a person to be appointed by the Central Government)

2. The Authority shall exercise the following powers and perform the following functions, namely :—

(i) exercise of powers under section 5 of the said Act, for issuing directions and for taking measures with respect to matters referred to in Clauses (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) and (xii) of sub-section 2 of section 3 of the said Act ;

(ii) to assess the loss to the ecology and environment in the affected areas and also identify the individuals and families who have suffered because of the pollution and assess the compensation to be paid to the said individuals and families ;

(iii) to determine the compensation to be recovered from the polluters as cost of reversing the damaged environment ;